

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2024

सं. 14/2024-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 378(अ).— आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 44 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसकी वित्तीय वर्ष 2023-24 में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए तक की है, को उक्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान करता है।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/21/2024-जीएसटी]

राघवेंद्र पाल सिंह, निदेशक